23. Snow White Metals Industries Ltd.
24. Graceful properties Ltd.
25. Vikash Trade & Industries Ltd.
26. Kothari Soya Ltd.
27. Bengal Tea & Fabrics Ltd.
28. Progressive Services Ltd.
29. Abhinav Commercial Ltd.
30. Brook Bond India Ltd.
31. J. J. Automobile Ltd.
32. Premier Cereals Ltd.
33. Eastern Mining Ltd.
34. National Plywood Ind. Ltd.
35. Kusum Agrotech Ltd.
36. Industrial Cables (I) Ltd.

उपयोग न की गई विदेशी सहायता

1004. **श्री सोमपाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में विदेशी सहायता की बड़ी राशियों के अनुपयोगी रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुदानों में कमी करने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस समाचार विश्लेषण में दिये गये आंकड़े सही हैं ;

(ग) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और एजेंसियों द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है जिसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिराशि में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस उपयोग न की गई राशि के कारण भारत को कुछ राशि हरजाने के रूप में देनी पड़ती है ;

(ङ) पिछले तीन अथवा चार वर्षों में ऐसे प्रभारों की राशि कितनी रही है ; और

(च) भविष्य में विदेशी सहायता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कारवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) जी हां । सारणी में दर्शाये गये कुल बचन-बद्धता संबंधी और उपयोग संबंधी आंकड़े सही हैं । हालांकि यह सही नहीं है, कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा भारत को दिये जाने वाले अनुदानों में कमी की गई है और विश्व बैंक द्वारा किये जाने वाले संवितरण में कटौती की गई है । तथापि, परियोजना पोर्टफोलियो को सरल बनाने, तथा विश्व बैंक के साथ परस्पर करके पोर्टफोलियो वांछितीकरण के लिये कार्यवाही आरंभ की गई है और 1991 और 1993 में क्रमश: 1.65 बिलियन डालर और 1.23 बिलियन डालर रद्द किये गये थे । 1991–92 से 1993–94 तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/एजेंसियों से प्राप्त किये

गये ऋणों के गैर आहरण का शेष निम्न लिखित है:-

(करोड़ रु०)

एजेंसी/संस्थान	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आई.डी.ए.	11083.75	13799.15	14121.54
आई.बी.आर.डी.	16725.82	14338.09	2636.25
आई.एफ.ए.डी.	136.17	157.65	148.76
ओ.पी.ई.सी.	72.53	61.22	56.26
ए.डी.बी.	4804.08	7264.50	6757.00
जोड़ :	32822.35	35620.61	23719.81

(घ) और (ङ) विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष उपयोग के लिये प्रारक्षित निधियां हेतु ऋणों के असंवितरित शेष पर वचनबद्धता प्रभार लगाये जाते हैं । पिछले चार वर्षों के दौरान अदा किये गये वचनबद्धता प्रभारों का विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु०)

संस्थान	1990-91	91-92	92-93	93-94
आई.बी.आर.डी.	31.14	40.23	40.18	34.79
ए.डी.बी.	7.73	13.07	21.68	29.03
जोड़ :	38.87	53.30	61.86	63.82

(च) सरकार ने विदेशी सहायता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये हैं जैसे सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों को ए.सी.ए. के रूप में 100% जारी करना राज्य सरकारों को अग्रिम ए.सी.ए. के रूप में वार्षिक व्यय का 25% देना, जहां आवश्यक हो वहां परियोजनाओं के पुनर्निर्माण और परियोजनाओं को रद्द करना, परियोजनाओं का तीव्र मानीटरिंग और वित्त मंत्रालय में परियोजना मानीटरिंग यूनिट की स्थापना के साथ-साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना । प्राप्ति हेतु कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये मानक बिड (बोली) दस्तावेज तैयार किये गये हैं साथ ही प्राप्ति की अड़चनों को सुलझाने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं ।

महिला उद्यम निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1005. **श्री विलीप सिंह जूदेव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में महिला उद्यमियों को "महिला उद्यम निधि" के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसी नई लघु उद्योग इकाइयों, जिनकी परियोजना 20 लाख रुपए से अधिक न हो, को कार्य पूंजी प्रदान करने के लिए कोई "सिंगल विंडो" योजना प्रारंभ की गई है ;